

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

क्रमांक – 358

प्रकरण क्रमांक –SM-EXP-2024-02493

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध “जल तरंग विलास-02”, प्रमोटर—श्री घनश्याम दुवानी,
पता—प्लॉट क्रमांक—1ए / 1बी / 1सी, श्रीजी हाईट्स, फ्लैट सी—1105, सेक्टर नं.—
46ए, पाल्म बीच रोड, सीवूड नेवी मुंबई (महाराष्ट्र)

प्रोजेक्ट—“जल तरंग विलास-02” पता—कुंदपुरा, जिला—बालोद (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
21/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> – प्रकरण प्रस्तुत। – भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा—5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट “जल तरंग विलास-02” पंजीयन क्रमांक—PCGRERA020224001722 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 02.02.2024 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 30.04.2024 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा—3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा—3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा—59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। <p style="text-align: center;">रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनाँक 26.07.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी से दिनाँक 04.10.2023 को विकास कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है। 	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

क्रमांक – 358

प्रकरण क्रमांक –SM-EXP-2024-02493

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध “जल तरंग विलास-02”, प्रमोटर—श्री घनश्याम दुवानी,
 पता—प्लॉट क्रमांक—1ए / 1बी / 1सी, श्रीजी हाईट्स, फ्लैट सी—1105, सेक्टर नं.—
 46ए, पाल्म बीच रोड, सीवूड नेवी मुंबई (महाराष्ट्र)

प्रोजेक्ट—“जल तरंग विलास-02” पता—कुंदपुरा, जिला—बालोद (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<ul style="list-style-type: none"> – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>सही/- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>सही/- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p> </div> </div>	